न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 114/2022 राजस्व अपील

1. रमेश
2. रामस्वरूप
   पुत्रान श्योबक्श जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 10.12.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रमेश, रामस्वरूप मुकदमा संख्या 169/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 24.06.2024

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स ने ग्राम गांवडी स्थित खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.32 है. पर सम्वत 2078 रबी में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही निर्णय दिनांक 10.12.2021 पारित कर अपीलान्ट्स को 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलान्ट संख्या 2 रामस्वरूप पुत्र श्योबक्श फौत हो चुका है। साथ ही अपीलान्ट संख्या 1 रमेश पुत्र श्योबक्श की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.32 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा अपीलान्ट का किसी भी चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलान्ट भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.32 है. पर सरसों व चना की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। चूंकि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 फौत हो जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 के विरूद्ध पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 यथावत रखा जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट्स का ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.32 है. पर सरसों व चना की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। परन्तु अपीलान्ट संख्या 2 फौत हो चुका है एवं अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.32 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना, अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा अपीलान्ट द्वारा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 10.12.2021 में अपीलान्ट संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त किया जाना एवं अपीलान्ट संख्या 1 के सम्बन्ध में अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट संख्या 2 फौत हो जाने के कारण अपीलान्ट संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है तथा अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 274/94 रकबा 0.32 है. पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना, अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना तथा अपीलान्ट द्वारा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2021 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा की स्थिति में अपीलान्ट संख्या 1 के विरूद्ध पारित सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:02:00 IST
Reason: SelfAttested